रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 1980/श्रावण 6, 1902

No. 152] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 1980/SRAVANA 6, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० : 47-ई० टी० सी०/(पी० एन०)/80

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1980

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय —1-1-1981 से 31-12-1981 तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, नार्वे, फिनलैंड, आस्ट्रिया और कनाडा को खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत कुछ कपड़ों या सूत, ऊन और मनुष्य निर्मित धागों से बने हुए तैयार मदों के निर्यात के लिए योजना ।

फा० सं० 2/55/80 ई० 1:—यह योजना 1-1-1981 से 31-12-1981 तक की अवधि के लिए (i) संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों (जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, यू० के०, आयरलैंड, डेनमार्क) और नार्वे, कनाडा को सूत, ऊन और मनुष्य निर्मित धागों के, (ii) फिनलैंड को सूती और मनुष्य निर्मित धागों के और (iii) आस्ट्रिया को सूत के कुछ कपड़ों और/या तैयार मदों के निर्यात से संबंधित है।

2. इस योजना के अंतर्गत आने वाले निर्यात उत्पादों की श्रेणियों की सूची सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद और ऊन और ऊनी सामान निर्यात संवर्धन परिषद से उपलब्ध है। जब तक अन्यथा रूप से निदेश न दिए जाएं सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बंबई (टैक्सप्रोसिल) कपड़ों और बने-बनाए सामानों के लिए कोटे का आबंटन करेगी। किन्तु वह ऊनी कपड़ों और बने-बनाए सामानों का आबंटन नहीं करेगी, इसके लिए कोटे का आबंटन ऊन और ऊनी सामान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा। लेकिन, ऊनी वस्त्रों और तैयार माल सहित सभी प्रकार के वस्त्रों और बने-बनाए सामानों के लिए आवश्यक प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा। सरकार को यह अधिकार होगा कि वह कोटा आबंटन और प्रमाणन के संबंध में और किसी अन्य अभिकरण को किसी भी काम के भाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में जैसा उचित समझे परिवर्तन करेगी।

3. 25% के वार्षिक स्तर का आबंटन भूत के निष्पादन के आधार पर किया जाएगा। भूत के निष्पादन कोटा का निश्चय भूत के व्यौरों के संबंध में निर्यातों के आधार पर जिसे अलग से अधिसूचित किया जाएगा, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा किया जाएगा। शेष तक (75) का नियंत्रण "पहले आए सो पहले पाए" की पक्की संविदा के आधार पर और "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के आधार पर क्रमशः 55:45 के अनुपात में किया जाएगा। भूत के निष्पादन के अंतर्गत कोटे के आबंटन के उद्देश्य के लिए 1-1-1981 से 30-9-1981 तक एक एकल अवधि होगी लेकिन "पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण और "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के लिए कोटा वर्ष को छः छः महीनों की दो अवधियों में बांटा जाएगा। जो 1-1-1981 से 30-6-1981 और 1-7-1981 से 31-12-1981 होगी। इन श्रेणियों के अंतर्गत 60 कोटा पहले की आधी अवधि में और 40 दूसरी आधी अवधि में उपलब्ध होगा ।

4. "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के आधार पर कोटा आबंटनों के मदों लदान, कोटा पृष्ठांकन की तारीख से पूरे 10

दिनों के भीतर करना पड़ेगा। लेकिन, वस्त्र आयुक्त या उसके प्रतिनिधि के विशेष प्रमाणन के आधार पर वैध कारणों से कुछ विशेष मामलों में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

5. जहां पर सूती, ऊनी और मनुष्य निर्मित धागे के कोटे सम्मिश्रित किए जाते हैं, ऊनी और संश्लिष्ट सामानों के लिए आरक्षण विशेष मात्राओं की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। वस्त्र आयुक्त द्वारा वास्तविक मात्राओं का निश्चय गत वर्ष और आगामी वर्ष की सम्भावनाओं के लिए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो उपयुक्त निर्धारित मात्रा को मांग की प्रवृत्ति को देखते हुए इसे संशोधित किया जा सकता है।

6. उन मामलों में जहां हथकरघा और मिल निर्मित मदों को आबंटन के विचार से एक मे मिला दिया जाता है तो संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में अन्यों के लिए हथकरघा का अनुपात 2 : 1 होगा और अन्य क्षेत्रों के लिए 1 : 1 का अनुपात होगा। मांग की प्रवृत्ति के अनुसार यह अनुपात संशोधित किया जा सकता है।

7. "पहले आए सो पहले पाए" की पक्की संविदा के आधार पर कोटे के आबंटन के लिए आवेदनपत्र के साथ जहां पर आबंटन का एकक किलोग्राम में होता है तो सभी श्रेणियों/देशों के मामले में 50 पैसे/किलोग्राम की दर पर, संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा की वस्त्र श्रेणियों के समतुल्य 5 पैसे प्रति वर्ग गज की दर पर और यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यातों के लिए हस्तशिल्पों के लिए प्रति दर्जन 12 पैसे की दर पर परिगणित मूल्य के लिए आवेदन निष्पादन बांड देना होगा: क्रमशः अन्य सभी संबंधित श्रेणियों/देशों के लिए लागू होने वाली दर की घोषणा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा की जाएगी।

पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर कोटे के आबंटन के मामले में आवेदक को जहां कहीं भी लागू हो, आवेदनपत्र और पोतलदान दस्तावेजों के साथ वस्त्र समिति का निरीक्षण प्रमाणपत्र/ए० आर० 4/ए० आर० 5 प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

यदि कोटा आबंटन की वैध अवधि के भीतर उपयोग 90 से कम होता है तो निर्यातों के साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण पर निष्पादन बाण्ड की पूरी धनराशि को लौटा दिया जाएगा। बाध्यकारी शक्तियों की शर्तों को छोड़कर यदि आबंटित कोटे का उपयोग 90 से कम होता बाण्ड की पूरी धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा। आगे बाध्यकारी शर्तों को छोड़कर यदि कोटे का अप्रयुक्त आबंटित कोटे के 25% से अधिक है तो इस प्रकार के पोत वणिकों को कोटा आबंटित करने से वंचित करने पर विचार किया जा सकता है।

8. यदि माल का 3-4-1981 तक लदान कर दिया जाता है तो भत की निष्पादन हकदारी के मद्दे कोटे का पृष्ठांकन निष्पादन बाण्ड शर्तों के अधीन नहीं होगा। लेकिन हकदारी का अभ्यर्पण 21-5-81 तक किया जा सकता है उसके बाद किसी भी प्रकार का अभ्यर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोटे के लिए 30-4-1981 के बाद पैरा 7 के अनुसार रोक रखे गए निष्पादन बाण्ड को प्रस्तुत करना पड़ेगा।

9. 1979 के दूसरे अर्ध-वर्ष के दौरान पालन की गई प्रक्रिया के अनुसार धीमी रफ्तार की मदों के मामले में बैंक गारंटी और निक्षेपणों से सम्बन्धित व्यवस्थाएं वस्त्र आयुक्त की सलाह से समाप्त कर दी जाएंगी और विशेष कर उन मदों के सम्बन्ध में जो भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अभिज्ञात हैं।

अभिज्ञात धीमी रफ्तार वाली मदों के लिए आवेदक को बिना किसी बैंक गारंटी के या नकद निक्षेप के सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र में केवल निष्पादन बाण्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जो या तो पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर या पहले आए सो पहले पाए पक्की संविदा के आधार पर आबंटन के लिए आता है तो वह आबंटन उपलब्धता के आधार पर पाएगा। सरकार भूतकाल के निर्यात आंकड़ों और वर्तमान वर्ष की सम्भावित प्रत्याशा के आधार पर इस प्रकार की धीमी रफ्तार वाली मदों को अभिज्ञात करने के बाद ही सभी सम्बन्धितों को सूचित करेगी।

10. जब तक किसी देश के लिए विनिर्दिष्टीकृत नहीं कर दिया जाता है वस्त्र आयुक्त बम्बई कोटा आबंटन से सम्बन्धित मामलों के दिन प्रतिदिन का आरक्षण करते रहेंगे। अध्यक्ष के रूप में वस्त्र आयुक्त के साथ समन्वय समिति और सम्बद्ध विभिन्न परिषदों के प्रतिनिधि महीने में कम से कम एक बार स्थिति की पुनरीक्षा करेंगे। यदि किसी मामले में किसी प्रकार का मतभेद होता है तो उसका निर्णय वस्त्र आयुक्त करेगा।

11. सरकार को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के इन कोटा आबंटन के मार्ग निर्देशनों की किसी भी व्यवस्था में संशोधन करे।

12. निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए नामोदिष्ट उचित किसी अन्य निकाय द्वारा व्यक्तिगत प्रेषण के लिए जारी किए गए जहाजरानी बिलों की मूल या अनुलिपि प्रति पर कोटा पृष्ठांकन के आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तन पर पोतलदान की अनुमति दी जाएगी। लेकिन, संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में, पोतलदान की अनुमति देने से पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकारी, सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किसी अन्य निकाय, जिसमें उसके प्रतिनिधि भी शामिल हैं के द्वारा जारी किए गए विशेष सीमा शुल्क बीजक सं० 5515 पर पारगमन पृष्ठांकन को भी सत्यापित करेंगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों और कनाडा को सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद या उनकी ओर से विधिवत् प्राधिकृत कोई अन्य निकाय आयातकों को गन्तव्य स्थान पर निकासी प्राप्त करने के लिए इन प्रमाणपत्रों को भेजने के लिए अन्य श्रेणियों जिनके पास व्यक्तिगत श्रेणी सीमा न हों, उन्हें कोटा पृष्ठांकन जारी के साथ निर्यात प्रमाण-पत्र और उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

13. जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, कनाडा और आस्ट्रिया को हथकरघा वस्त्रों, हस्तकरघा वस्त्रों से तैयार सामग्री के निर्यात का सम्बन्ध है, निर्यात संवर्धन परिषद या अन्य सम्बद्ध निकायों द्वारा कोटा पृष्ठांकन के बिना वस्त्र समिति के प्रमाणन के आधार पर सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति दी जाएगी।

14. "भारतीय मदों" के सम्बन्ध में जो विशेष रूप से भारतीय परम्परागत लोक प्रचलित वस्त्र उत्पाद है, उनके लिए पोतलदान की अनुमति सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और कनाडा को आयात के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड या वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उपयुक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर दी जाएगी। वे मद जो भारतीय मदों के रूप में विशिष्टिकृत है सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा लदान बिल पर पृष्ठांकन के लिए सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद, या अन्य कोई विधिवत् प्राधिकृत निकाय द्वारा कोटा पृष्ठांकन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. जहां पर प्रेषण पोतलदान के लिए तैयार है तो कोटा पृष्ठांकन प्राप्त करने के लिए और आवश्यक निर्यात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्यातक को कोटा प्रमाण-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों (दो प्रतियों में पोतलदान के साथ) और पोतलदान के अधीन वहे माल के ब्यौरों को शामिल करते हुए 2 प्रतियों में प्रपत्र आवेदन पत्र इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट निर्यात संवर्धन परिषद को या इसके अन्तर्देशीय पत्तन के प्रतिनिधियों को प्रस्तुत करेगा। इसके बाद पोतलदान बिल और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दस्तावेज

को सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जायगा। इन सभी मामलों में सीमा शुल्क से पोतलदान बिल की संख्या और तारीख, प्राप्त हो जाने पर पोत वणिक सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद या इसके अन्तर्देशीय पत्तन के उन प्रतिनिधियों को सूचित करना पड़ेगा जिनसे कोटा पृष्ठांकन प्राप्त हुआ है।

16. निर्यात प्रमाण-पत्र केता के लिए है और इसलिए यह परिषद से प्राप्त हो जाने के बाद पोत वणिकों द्वारा अन्य सम्बन्धित प्रलेखों के साथ उसके क्रेता को भेज दिया जाता है।

17. निर्यात की अनुमति भारत के किसी भी पत्तन से दी जाएगी।

18. निर्यात संवर्धन परिषद के पते इस प्रकार हैं:—

(1) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, इंजीनियरिंग सेन्टर, 9 मैथ्यू रोड, 5वीं मंजिल, बम्बई-400004

(2) ऊन तथा ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद, 714-अशोक इस्टेट, 24 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

19. वे व्यक्ति जिन्हें उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार कोटे की अनुमति दी जाती है किन्तु वे उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इस सम्बन्ध में जो कुछ अन्य कार्रवाई की जाएगी उसे ध्यान में रखे बिना उसे और आगे कोटा देने से अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

मणि नारायणस्वामी,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 28th July, 1980

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 47-ETC (PN)/80

Subject : Scheme for exports under O. G. L. 3 of certain fabrics and/or made ups items made from Cotton Wool and man made fabrics to U.S.A., E.E.C. member states, Norway, Finland, Austria and Canada from 1-1-1981 to 31-12-1981.

F. No. 2/55/80-EI.—This scheme relates to the export of certain fabrics and|or made ups items of (i) Cotton, Wool and man-made fibres to U.S.A., E.E.C. countries (F.R.G., France, Italy, Benelux, U.K., Ireland, Denmark, Norway, Canada, (ii) Cotton and man-made fibres to Finland and (iii) Cotton to Austria, for the period 1-1-1981 to 31-12-1981.

2. The list of categories of textile products covered under the scheme is available with the Cotton Textile Export Promotion Council and the Wool and Woollen Export Promotion Council. Unless otherwise directed the Cotton Textile Export Promotion Council, Bombay (TEXPROCIL) will allocate quotas for all fabrics and made ups except woollen fabrics and made ups for which quota allocation will be done by W&WEPC. However, necessary certification for all fabrics and made ups including woollen fabrics and made ups will be done by TEXPROCIL. The Government reserves the right to make changes as considered appropriate with regard to the agencies for quota allocation and certification and with regard to transfer of any part of the work to any other agency.

3. 25 per cent of the annual level will be allocated on the basis of past performance. Past performance quota will be determined by CCI&E on the basis of exports in the past-details whereof will be notified separately. The balance (75 per cent will be allocable on FCFS firm contract basis and FCFS ready goods basis in the ratios of 55:45 respectively. For the purpose of quota allotment under Past Performance there will be a single period from 1-1-1981 to 30-9-1981. However for FCFS contract reservation and FCFS ready goods, quota year will be divided into two six monthly periods 1-1-1981 to 30-6-1981 and 1-7-1981 to 31-12-1981. 60 per cent of quota available under these categories will be allotted during the first half and 40 per cent during the second half.

4. Shipments against quota allocations on FCFS ready goods basis will have to be effected within 10 clear days from the date of quota endorsement. However, this period can be extended in exceptional case for valid reasons on specific authorisation from the Textile Commissioner or his representative.

5. Wherever, the quotas for Cotton, Woollen and man-made fibres and combined, the reservation for woollen and synthetic will be done in terms of specific quantites. The actual quantities will be determined by the Textile Commissioner after ascertaining the need from the respective Councils after keeping in mind the pattern for the last year and future prospects. Depending upon the demand trend the above quantities fixed may have to be modified, if required.

6. In cases, where handloom and mill-made items are clubbed together for allocation, the ratio of handloom to others in case of U.S.A. will be 2:1 whereas it will be 1:1 for other areas. These ratios may be amended according to demand trends.

7. For quota allotment on FCFS firm contract basis, the applicant will have to submit alongwith the application performance bond for the value calculated at the rate of 50 Paise|Kg. in the case of all categories|countries where the unit of allocation is kilogram. at 5 paise per Sq. Yard equivalent in the Fabric Categories of U.S.A. and Canada and 12 paise per Dozen for handkerchiefs for exports to EEC and U.S.A. The rates applicable for all other categories|countries concerned will be announced by TEXPROCIL.

In case of quota allocation on FCFS ready goods basis, the applicant will have to submit the Textile Committee Inspection Certificate|AR4|AR5 forms wherever applicable alongwith the application and the shipping documents.

If utilisation within the validity period of quota allotment is not less than 90 per cent full amount of performance bond will be refunded on production of evidence of exports. If the utilisation of allotted quota is less than 90 per cent full amount of the performance bond will be liable to be forfeited except in conditions of force majeure. Further, except in conditions of force majeure, if the surrender of quota is in excess of 25 per cent of allotment, Government may consider debarment of such shippers from quota allotment.

8. Quota endorsement against past performance entitlement, will not be subject to performance bonds condition provided the goods are shipped by 30-4-1981. The entitlement however can be surrendered by 31-5-1981 after which no surrenders will be accepted. For quotas retained after 30-4-81, performance bond as in para 7 will have to be furnished.

9. In line with the practice followed during second half of 1979, the provisions regarding bank guarantee and deposits would be dispensed with in case of slow moving items specially identified for this purpose by the Government of India in consultation with the Textile Commissioner.

For the identified slow moving items, applicants will have to submit only the performance bond in the proforma as prescribed by TEXPROCIL without any bank Guarantee or cash deposit. Besides, anybody who comes for allocation either on FCFS ready goods basis or FCFS firm contract basis, will get the allocation subject to availability. The Government will inform, all concerned, after the identification of such slow moving items on the basis of past export figures and possible expectations during the current year.

10. Unless specified to the contrary, the Textile Commissioner, Bombay, will continue to have day-to-day supervision over the matters relating to quota allocation. A Coordination Committee, with the Textile Commissioner as Chairman, and representatives of various Councils concerned will review the situation at least once a month. In case of difference of opinion, the matter will be decided by the Textile Commissioner.

11. Government reserves the right to make amendment in any of the provisions of these quota distribution guidelines without giving prior information.

12. Shipment will be allowed by the Customs authorities at the ports of shipment on the basis of quota endorsement on the original and duplicate of the shipping bills for individual consignments issued by the Export Promotion Council or any other appropriate body designated for this purpose. In respect of USA, however, before allowing shipments, the

Customs authorities would also verify the visa endorsement on the special customs invoice No. 5515 issued by the Export Promotion Council concerned or any authorised body prescribed for this purpose, including their representatives. In respect of exports to EEC Member States, and Canada alongwith the quote endorsement, the Export Promotion Council concerned or, any other body, duly authorised in this behalf will issue export certificate and certificate of origin in respect of other categories not having individual category limits for forwarding these certificates to importers for obtaining clearance at the destination.

13. In so far as exports to USA, EEC, Canada and Austria of handloom fabrics, made-up articles made from handloom fabrics are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of the certification by the Textile Committee without the requirements of quota endorsement by the Export Promotion Council or other authorised bodies concerned.

14 In respect of 'India items' which are typically Indian traditional folklore textile products, shipments will be permitted by the Customs for exports to USA, EEC and Canada on the basis of appropriate certificates issued by the All India Handicrafts Board or the Textile Committee. For items specified as 'India Items' no quota endorsement by the Export Promotion Council concerned or by any other duly authorised body will be required, for endorsement of the shipping bills by the Customs authorities.

15. Whenever the consignment is ready for shipment, the exporter shall submit the necessary shipping documents (including shipping bills in duplicate) and proforma application in duplicate covering the details of goods under shipment to the Export Promotion Council designated for this purpose or to its up-country port representatives alongwith quota certificate, for obtaining quota endorsement and for issuing the necessary export certificate. Thereafter, the documents shall be submitted to the Customs for completion of the shipping bills and other formalities. In all these cases the shippers will be required to inform the Export Promotion Council concerned or its up country port representatives from whom the quota endorsement is obtained, the number and the date of shipping bills after the same are collected from the Customs.

16. The Export Certificate is meant for the buyer and hence the same after obtaining from the Council has to be forwarded by the shipper to his buyer alongwith other relative documents.

17. Export will be allowed from any port in India.

18. The addresses of Export Promotion Councils are as follows :

1. The Cotton Textiles Export Promotion Council, 'Engineering Centre', 9 Mathew Road, 5th Floor Bombay-400004.

2. Wool and Woollens Export Promotion Council, 714, Ashoka Estates, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

19. Persons to whom quotas are allowed in accordance with the above arrangements but who do not utilise them fully would be liable to disqualification from getting future quotas without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1981